संख्या-10/355/47-का-3-2015-13/5/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 11 फरवरी, 2015**

विषय- पिकप भवन के तृतीय तल को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय हेतु किराए पर लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-107/नजारत-आयोग/2014-1/3/2014-6, दिनांक 30.12.2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय हेतु धनराशि रू0-8,67,553.00 (रूपये आठ लाख सरसठ हजार पॉच सौ तिरपन मात्र) प्रतिमाह किराये के रूप में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तथा धनराशि रू0-29,354.00 (रूपये उन्तीस हजार तीन सौ चौवन मात्र) प्रतिमाह अनुरक्षण शुल्क के रूप में पिकप को प्रदान किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/355(1)/47-का-3-2015-13/5/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमती नगर, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।